न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- करतार सिह पूनियॉं आर.ए.एस.

अपील संख्या 2009/00028 (86/2009) 223 आरटीएक्ट

मुखी उर्फ सुखी देवी पत्नी जगदीश कुमार पुत्री बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. परमेश्वरी देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्री बद्रीप्रसाद } जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया
2. सरस्वती पत्नी रतीराम पुत्री बद्रीप्रसाद
3. विद्या पत्नी शंकरलाल पुत्री बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद मलखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध आदेश 09.02.2009 प्र सं0 9/2005
अनवान मुखी बनाम परमेश्वरी आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपस्थितः—
श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः— 07.3.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 के पिता बद्रीराम पुत्र बिसाउराम जाति जाट के नाम से चक 1 डी.एनजी. के खाता संख्या 38/33 में 3.445 है0 भूमि व इसी चक के खाता संख्या 39/34 में 0.506 है0 इसी चक के ही खाता संख्या 12/11 में 0.506 है0 कृषि भूमि दर्ज थी। वादीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त [illegible] भूमि वादीया व प्रतिवदीया संख्या 1 ता 3 व इनकी माता [illegible] 1/5 हिस्सा दर्ज हो गई। वादीया माता मीरां ने [illegible] दस्तबरदारी [illegible] क 23.05.2003 को प्रतिवादीया सं0 1 परमेश्वरी [illegible] के नाम से कर दि[illegible] भूमि उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नाम से दर्ज हो गई। मीरादेवी की कृषि भूमि में वादीया 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है। मीरादेवी अपने हक का परित्याग किसी एक पक्ष में नहीं कर सकती है। वादीया ने मीरादेवी द्वारा त्यागे गये हक का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बराबर का खातेदार घोषित करने प्रतिवादीया संख्या 1 परमेश्वरी के नाम से किये गये इन्द्राज की दुरूस्ती कर वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने एवं प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध वर्णित भूमि को अन्य. रहन बैय नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीया ने वादपत्र का विरोध किया व कथन किया कि उसकी माता मीरा देवी अपने हक का परित्याग किसी के पक्ष में करने को स्वतंत्र हे। हक परित्याग से प्रतिवादीया सं0 1 कुल भूमि में 2/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार हो चुकी है। वादीया अब किसी प्रकार की घोषणा कराने की हकदार नहीं है वाद वादीया खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस के उपरान्त वाद वादीया खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पो0 सं0 4 के राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा का दावा इस आधार पर खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है कि यदि वादीया को दस्तबरदारी की कानूनी वैधता पर एतराज था तो सिविल न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी जबकि उक्त दस्तबरदारी प्रदश –6 जो है वह एक सह काश्तकार द्वारा अन्य सह काश्ताकारों के पक्ष में अपना हक परित्याग माना जावेगा किसी एक सदस्य का नाम लिख देने से उस एक के पक्ष में दस्तबरदारी नहीं मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि उक्त भूमि में मु0 मीरा देवी का स्त्रीधन है इसलिए मु0 मीरां देवी को किसी के पक्ष में दस्तबरदारी करने की अधिकारिता है, जबकि दस्तबरदारी विरासतन अपने पिता व पति से मिली भूमि अन्य वारिसों के पक्ष में की जाती है। जिससे हक परित्याग करने वाले का हक व हिस्सा अन्य वारिसों को ब.हि.ब. मिलकर उन सभी के हिस्सा में बढोतरी होती है। यदि एक के पक्ष में दस्तबरदारी की जाती है तो वह दस्तबरदारी न होकर बेयनामा [illegible]णी में आने के कारण अकृत्य एवं शुन्य मानी जाती है। [illegible] विधि का विवेचन व विश्लेषण किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित [illegible] जो खारिज की जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिव[illegible] निर्णय पारित करने का कथन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत भूमि वादीया एवं प्रतिवीगण सं0 1 ता 3 के पिता बद्रीराम पुत्र बिसाउराम जाति जाट की भूमि थी जिसमें बद्रीराम की मृत्यु के उपरान्त वादीया व प्रतिवदीया सं0 1 ता 3 व उनकी माता मीरां देवी के नाम ब0हि0ब0 1/5 हिस्सा दर्ज हो गई। वादीया की माता मीरां देवी ने अपने हक का परित्याग जरिये दस्तबरदारी दिनांक 23.05.2003 को प्रतिवादीया संख्या 1 परमेश्वरी देवी के नाम से कर दिया। अपीलाण्ट का कथन है कि मीरां देवी द्वारा किसी 1 के पक्ष में दस्तबरदारी नहीं करवाई जा सकती है। यदि उसके द्वारा अपना हक जरिये दस्तबरदारी त्याग दिया है तो उसका समस्त हक सभी सह खातेदारों के पक्ष बहिस्सा बराबर दिया जाना चाहिए। यह एक विधिक प्रश्न है कि मीरां देवी अपने हक का परित्याग किसी एक के पक्ष में करने स्वतंत्र है, क्या उसका हक सभी सह खातेदारों के बहिस्सा बराबर जाऐगा। इस बिन्दू पर विवेचन कर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य हे।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विशेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.2009 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.3.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतार सिह पूनियाँआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested